सं. 38/37/08-पी.एंड पी.डब्ल्यू. (क)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग

* * *

लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003.
दिनांक : 18 मई 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन – पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों आदि की पेंशन में संशोधन ।

मुझे, यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में सरकार के निर्णय के अनुसरण में वर्ष 2006 से पूर्व के सभी पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के संशोधन संबंधी आदेश इस विभाग के दिनांक 1-9-2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08-पी. एंड पी.डब्ल्यू. द्वारा जारी किए गए थे । इसी प्रकार पेंशन, सेवानिवृत्ति/मृत्यु/सेवा उपदान/कुटुम्ब पेंशन/निःशक्तता पेंशन और एकमुश्त अनुग्रह-राशि की प्रतिपूर्ति को विनियमित करते हुए नियमों में संशोधन लागू करते हुए इस विभाग के दिनांक 2-9-2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08-पी. एंड पी.डब्ल्यू.(ख) द्वारा आदेश जारी किए गए थे ।

2. उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापनों के कुछ प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगते हुए कुछ पत्र इस विभाग में प्राप्त हुए हैं । इनके संबंध में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के परामर्श से विचार किया गया है और इस संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं :-

क्र.सं	उठाया गया मुद्दा	स्पष्टीकरण
1.	दिनांक 1.9.2008 का कार्यालय ज्ञापन क्या ऐसे मौजूदा पेंशनभोगियों के संबंध में भी कुटुम्ब पेंशन, संशोधित की जाएगी, जिनकी कुटुम्ब पेंशन दिनांक 1.1.2006 की स्थिति के अनुसार संचालित नहीं हुई थी ?	ऐसे मौजूदा पेंशनभोगियों के संबंध में जिनकी कुटुम्ब पेंशन दिनांक 1.1.2006 की स्थिति के अनुसार संचालित नहीं हुई, क्योंकि पेंशनभोगी उस तारीख को जीवित हैं/थे, उनकी कुटुम्ब पेंशन (बढ़ी हुई कुटुम्ब पेंशन सहित जहां लागू होती हो)

		इस विभाग के दिनांक 1.9.08 के समय-समय पर यथा स्पष्टीकृत समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में दिए गए अनुदेशों के अनुसार अद्यतन की जाएगी । कुटुम्ब पेंशन की अद्यतन दरें तब लागू होंगी, जब और जैसे ऐसे मामलों में कुटुम्ब पेंशन देय होगी । तदनुसार, जहां कहीं किसी पेंशनभोगी की दिनांक 1.1.2006 को अथवा उसके बाद मृत्यु हो गई है, उसकी अद्यतन पेंशन, (बढ़ी हुई पेंशन सहित, जहां लागू हो) पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख से कुटुम्ब पेंशनभोगी को देय हो जाएगी ।
2.	दिनांक 2.9.2008 का कार्यालय ज्ञापन क्या दिनांक 1.1.2006 से 31.8.08 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के बकाया भुगतान, भी वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान 40:60 के अनुपात में अदा किए जाएंगे ?	जी, हाँ।

2. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से यह आग्रह किया जाता है कि वे पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के संशोधन संबंधी मामलों को निपटाते समय उपर्युक्त स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखें । उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वे पेंशनभोगियों से उपर्युक्त मुद्दों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को इस विभाग में अग्रेषित किए बिना स्वयं निपटान करें ।

3. इसे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की दिनांक 14.5.2009 के आई.सी.यू.ओ. संख्या 191/ई.वी./2009 द्वारा प्राप्त सम्मति से जारी किया जाता है ।

(एम. पी. सिंह)
निदेशक (पी.पी.)
टेलीफैक्स : 24624802

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. सभी पेंशनभोगी एसोसिएशनें